मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,इन्दौर

शुद्धि पत्र कमांक 02/01/चयन/2009/04.08.2011

विज्ञापन कमांक 01/चयन/2009/19.01.2009

आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों के पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन कमांक 01/चयन/2009/19.01.2009 के संदर्भ में विज्ञापन में शैक्षणिक अनुभव स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव दर्शाया गया हैं. अनुभव के संदर्भ में शासन के पत्र कमांक 1–23/07/1–38, दिनांक 27.10.2009 एवं पत्र कमांक 1–23/2007/1–38, दिनांक 29.04.2011 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नानुसार अनुभव मान्य किया गया हैं :–

1. स्थायी/अस्थायी रूप से शासकीय महाविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में किये गये अध्यापन कार्य के अनुभव को मान्य किया गया हैं । यदि कोई शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य पर प्रतिनियुक्ति पर रहा है तो उस प्रतिनियुक्ति की वास्तविक अवधि को अनुभव में से कम किया गया हैं ।

2. शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में ही कार्यरत संविदा, अतिथि विद्वान तथा पार्ट टाईम के अनुभव को मान्य किया गया है, क्योंकि इनका अभिलेख संधारित होता है तथा इसका सत्यापन किया जा सकता हैं । गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में अभिलेख संधारण के सत्यापन में कठिनाई होती हैं । अतः गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत संविदा, अतिथि विद्वान तथा पार्ट टाईम के शिक्षकों के अनुभव को मान्य नहीं किया गया हैं ।

3. रिसर्च फैलो/रिसर्च एसोसियेट को अध्यापन कार्य का अनुभव मान्य नहीं किया गया हैं ।

विज्ञापन की अन्य शर्ते यथावत रहेगी ।

सचिव